RAJYA SABHA

Friday, the 19th December 1969/the 28th Agrahayana, 1891 (Saka)

The House met at eleven of clock, MR. CHAIRMAN in the CHAIR.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जयपुर से ट्रंक कालें

*675. श्री सुन्दर सिंह भंडारी :†
श्री पीतांबर दास :
श्री ना० कृ० शेजवलकर :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 17-9-68 से 24-9-68 तक जयपुर से नागपुर, जयपुर से भोपाल, जयपुर से उदयपुर, जयपुर से बम्बई और जयपुर से सवाई माधोपुर को कितने आर्डिनरी ट्रंककाल बुक किये गये;

(ख) 4-6-69 से 8-6-69 तक जयपुर से उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित स्थानों को कितने आर्डीनरी ट्रंक काल बुक किये गये;

(ग) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) में उल्लिखित कालों में से कितनी कालों में 5 मिनट के अन्दर बात हो गई; और

(घ) किस-किस नम्बर के टेलीफोन को उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित लाभ 5 बार से अधिक मिला और ये टेलीफोन किन के पास हैं ?

‡[TRUNK CALLS FROM JAIPUR

*675. SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI:†
SHRI PITAMBER DAS :
SHRI N. K. SHEJWALKAR

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of ordinary trunk calls booked from Jaipur to Nagpur, Jaipur to Bhopal, Jaipur to Udaipur, Jaipur to Bombay and from Jaipur to Sawai Madhopur from 17-9-68 to 24-9-68;

(b) the number of ordinary trunk calls booked from Jaipur to all the places mentioned in part (a) above from 4-6-69 to 8-6-69;

(c) the number of such calls from amongst the calls mentioned in parts (a) and (b) above which materialised within 5 minutes; and

(d) the telephone numbers which got the benefit mentioned in part (c) above on more than 5 occasions along with the names of the owners of such telephones?]

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह): (क) 17-9-68 से 24-9-68 तक की अवधि के ट्रंक काल टिकट विभागीय नियमों का पूरा-पूरा पालन करते हुए नष्ट कर दिये गए है, क्योंकि इन नियमो के अनुसार ऐसे टिकटों को बिल जारी करने के 6 महीने बाद तक ही सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसलिए अपेक्षित सूचना नही दी जा सकती।

(ख) जयपुर से नागपुर के लिए–कोई नही।
जयपुर से भोपाल के लिए–कोई नहीं।
जयपुर से उदयपुर के लिए–155
जयपुर से बम्बई के लिए–311
जयपुर से सवाई माधोपुर के लिए–74

(ग) (1) ऊपर भाग (क) के उत्तर को मुद्देनजर रखते हुए 17-9-68 से 24-9-68 तक की सूचना उपलब्ध नही है।

(2) 4-6-69 से 8-6-69 की अवधि के दौरान केवल 30 कालों में 5 मिनट के अन्दर-अन्दर बात हो गई।

(घ) 17-9-68 से 24-9-68 की अवधि की सूचना उपलब्ध नही है। 4-6-69 से 8-6-69 तक की अवधि के लिए उत्तर नकारात्मक है।

‡[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (PROF. SHER SINGH) : (a) Trunk Call Tickets for the period from

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sundar Singh Bhandari.

‡ [ ] English translation.

17-9-68 to 24-9-68 have been destroyed in strict observance of the Departmental rules according to which such Tickets are to be preserved for six months only after issue of bills. Accordingly, information asked for cannot be furnished.

(b) Jaipur to Nagpur	Nil
Jaipur to Bhopal	Nil
Jaipur to Udaipur	155
Jaipur to Bombay	311
Jaipur to Sawai Madhopur	74

(c) (i) In view of reply at (a) above the information for the period from 17-9-68 to 24-9-68 is not available.

(ii) During the period from 4-6-69 to 8-6-69 only 30 calls materialised within 5 minutes.

(d) For the period 17-9-68 to 24-9-68 no information is available. For the period 4-6-69 to 8-6-69, the answer is nil.]

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : श्रीमान्, मुझे खुशी है कि कम से कम मंत्री महोदय ने आज केवल एक लाइन का जबाब नहीं दिया कि सूचना एकत्र की जा रही है लेकिन दूसरा एक तर्क दे दिया कि रिकार्ड खत्म हो गया इसलिये इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती । दोनों मिला कर मतलब एक ही होता है ।

श्री सभापति : अब आप सवाल कीजिये ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मेरा सरकार से पूछना है कि जो अंतिम भाग (घ) के जबाब में कहा कि उत्तर नकारात्मक है तो क्या वह इस बात की जानकारी करेंगे कि कुछ टेलीफोन नम्बर्स, कुछ सब्सक्राइबर्स, जयपुर के ऐसे हैं, मसलन 73993, 74364, 64270, 72934,72318, 72575—मैंने केवल कुछ नमूने के टेलीफोन नम्बर्स बताये हैं और इसमें विशेष आपत्ति इसलिए है कि इनमें से कुछ टेलीफोन नम्बर्स जो टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर्स हैं उनके हैं या कोई महोदय बड़े बिज़नेस टाइकून हैं उनके हैं या कुछ मिनिस्टर्स के हैं, इन टेलीफोन नम्बर्स से बुक किये जाने वाले काल चाहे वह जयपुर से नागपुर के हों, चाहे वह जयपुर से उदयपुर के हों, चाहे वह जयपुर से भोपाल के हों या सवाई माधोपुर के हों, रिकार्ड में आर्डिनरी काल दिखा कर एक मिनट में, दो मिनट में या पांच मिनट में पूरे हो जाते हैं जब कि साधारणतः इन आर्डिनरी काल्स के मिलने में कम से कम दो घंटे और कभी कभी छः घंटे तक का समय लगता है । मेरा यह आक्षेप है कि वहां के पी० एम० जी०, राजस्थान के पी० एम० जी० श्री दलजिंदर सिंह ने आपरेटर्स को इंस्ट्रक्शनस दे रखे हैं,—पिछले साल हमने यह सवाल उठाया था कि क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिये गये है—कुछ टेलीफोन सब्सक्राइबर्स के लिये आपरेटर्स को विशेष ध्यान रखने के लिये कहा है, और किसी भी आधार पर उनकी काल्स को, चाहे लाइटेनिंग, काल माना जाय चाहे इम्मीडिएट काल माना जाय चाहे प्रायरिटी काल हों लेकिन आर्डिनरी चार्ज कर के एक मिनट में या दो मिनट में उनको मिला दिया जाय । तो सरकार इस सारे रैकेट की जानकारी करे । पिछले हफ्ते भी कलर्ड टेलीफोंस की बात यहां उठी थी और आपने ऐसा आदेश भी दिया था कि उसकी जानकारी इस सदन में इस सेशन के समाप्त होने के पहले दी जाय । मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब के लिये आज का आखिरी दिन है, शायद एक दिन और बचा है, और जो यह जानकारी इस सेशन में मिलने की बात कही गई है उसके साथ साथ मेरा यह कहना है कि इसकी जांच करें कि जयपुर का टेलीफोन का डिपार्टमेंट इस न्यूज को सप्रेस कर रहा है, वहां बारह-बारह साल से लोग विधआउट ट्रांस्फर रखे जा रहे हैं . . .

श्री सभापति : आप सवाल कीजिये ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : इसलिये मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आपको इस बात की जानकारी मिली है कि कुछ टेलीफोन नम्बर्स को विशेष सुविधा प्रदान करने के इंस्ट्रक्शंस वहां पर दिये गये हैं और इसलिये सरकारी खजाने को जो चारगुना और दसगुना पैसा मिलना चाहिये वह आर्डिनरी काल्स के रूप में कम वसूल हो रहा है ।

प्रो० शेर सिंह : माननीय सदस्य ने जो नम्बर दिये हैं उनके सम्बन्ध में जरूर जांच करवा लेंगे लेकिन जो मेरे पास सूचना है उन दिनों की जिन दिनों की सूचना उपलब्ध है उनसे कोई ऐसी बात

नही मालूम होती कि कोई खास ऐसे नम्बर है जिनके बारे मे कोई ऐसी बात हो। ये 30 काल्स जो कि पांच मिनट के अन्दर अन्दर मिले है उनको देखने से पता चलता है कि एक ही नम्बर की वह बारबार नही मिली है। मिनिस्टर्स के लिये आपने कहा तो जहां तक उसकी बात है 30 में से केवल 1 काल मिनिस्टर की है और 2 पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के नाम से है जो कि पांच मिनट के अन्दर अन्दर मिली है, बाकी दूसरे अलग अलग लोगों की हैं, अलग अलग लोगों के नाम से मिली है, एक आदमी नही हैं, इन 30 मे कोई 16 या 17 के करीब अलग अलग सब्सक्राइबर्स हैं जिनके नाम से है। तो ऐसी कोई बात इससे तो मालूम नही होती लेकिन आपने जो बात कही और जो नम्बर दिये है उसके सम्बन्ध में मै जांच करवा लूगा।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : श्रीमन्, मेरा दूसरा सवाल है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या आप इन रिकार्डस् को जो कि अब उपलब्ध है जाच पूरी होने तक रखेंगे। अगर छः महीने का पीरियड निकल गया और रिकार्ड डिस्ट्राय हो गया तो फिर क्या होगा? क्या आप इस बात की सावधानी बरतेंगे कि अब जयपुर ट्रंक एक्सचेंज मे जो सारे रिकार्डस् इसके है वह आपकी जांच पूरी होने तक, इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त होने तक, रिटेन किये जायेंगे और साधारण नियम के अनुसार छः महीने के बाद जो उन्हें आप समाप्त कर देते है उस तरह से वह समाप्त नही किये जायेंगे और यह समस्त जानकारी उसके आधार पर प्राप्त की जायेगी। क्योकि पता नही कि आप यह जानकारी कब करेंगे और कब जबाब देगे और जिस तरह से कि 1968 का रिकार्ड खत्म हो गया उसी तरह से 1969 का रिकार्ड भी न समाप्त कर दिया जाय। इसलिये आप इमीडियेटली यह इंस्ट्रक्शन देने की कृपा करें कि ये रिकार्डस् रिटेन किये जायेंगे, डिस्ट्राय नही किये जायेंगे और यह जानकारी जो टेलीफोन नम्बर्स मैंने बताये है उनके सम्बन्ध में प्राप्त की जायगी और वहां पर पूरी जांच कर के इसका पता लगाया जायगा। यह एक फैक्ट है कि इन टेलीफोन नम्बर्स से इस तरह किया गया और दूसरी कालों की बनिस्बत अधिक जल्दी मिलती है और आर्डिनरी के तौर पर उसको ट्रीट किया जाता है। तो आप इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठायें।

प्रो० शेर सिंह : सभापति महोदय, पी० एंड टी० मैनुअल, वाल्यूम 14, नियम 93 के तहत छः महीने के बाद जब बिल दे दिये जाते है तो उनको डिस्ट्राय कर देते हैं। उसमें कोई गायब कर देने की बात नहीं, ऐसी बात नहीं, यह शक निराधार है कि गायब कर दिया जाता है। तो जिसको छः महीना नही बीता है उनके सम्बन्ध में . . .

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : पहले का गायब हो गया।

प्रो० शेर सिंह : . . . माननीय सदस्य ने जो कहा है, जो नम्बर आपने अभी बताये है, उनके सम्बन्ध में जरूर जांच करवाऊंगा। जो छः महीय से कम के है वह डिस्ट्राय नही हुये और डिस्ट्राय होने के पहले ही, उस समय के पहले ही, हम जांच करवा लेगे।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि टेलीफोन के नियमो के अनुसार जो आपने प्रायरिटीज़ की कैटेगरीज बना रखी हैं, आर्डिनरी, अरजेंट, लाइटेनिग या इमीडिएट काल वगैरह जो है उनके अतिरिक्त क्या किसी ओहदे के आधार पर, आफिस की बेसिस पर, कोई प्रायरिटी भी आपने निर्धारित की है कि अगर उन लोगो की आर्डिनरी काल भी हो तो उसमे वी० आई० पीज० को प्रिफरेंस दिया जाता है या कोई मिनिस्टर को प्रिफरेंस दिया जाता है और अगर यह नही है तो क्या यह बात सही है। कि मिनिस्टर्स और जो अधिकारी लोग है वह अपने आफिस का दुरुपयोग करते हुये आर्डिनरी काल्स को भी इस एक्सचेंज मे व्यक्तिगत रूप से प्रभाव डाल कर और जो दूसरे तरीके होंगे उन तरीको से प्रभाव डाल कर उनको जल्दी से लगवा लेते है।

और इसके कारण दो बातें होती हैं, एक तो सरकारी आय की हानि तो होती ही है साथ ही साथ यह भी दिखाने का मौका मिलता है कि

सरकार में बैठे मिनिस्टर्स ने जो टेलीफोन काल्स वगैरह किये होगे, जैसा कि अभी सवाल पैदा हुआ है, उनमें लाखों रुपये खर्च नहीं हुए । इसलिये पूछ रहा हू कि इसके गार्ब मे कोई प्रयास किया जाता है या नही ।

प्रो० शेर सिंह : काल्स के लिये जैसा आपने स्वयं कहां, प्रायरिटीज तो होती हैं । आर्डिनरी काल्स से पहले अर्जेन्ट काल मिलेगा और इमीडिएट कॉल अर्जेन्ट कॉल से पहले मिलेगा । तो उनकी अपनी अपनी सबकी प्रायरिटीज़ है । लेकिन किसी एक वक्त अगर कोई व्यक्ति को आर्डिनरी कॉल डिफ्रेन्ट टाइम के लिये करना होता है तो उस हिसाब से पीछे मिलेगा, पहले नही मिलता है । अगर माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी शिकायत है कि किसी ने बाद मे भी कॉल बुक करवाई और उसको पहले मिल गई तो उसकी जांच करवाई जा सकती है ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, जयपुर के अलावा मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल दूसरी जगहो के संबंध में करना चाहता हूं . . .

श्री सभापति : नही । दूसरी जगहों के संबंध मे नही हो सकता . . .

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : ट्रंक कॉल के संबंध में जो नोटिस दिया जाता है, बिल्स वगैरह पेमेन्ट करने के लिये, उसमें पहले नोटिस दिया जाता है ।

श्री सभापति : आप अपना सवाल करिये फिर मै बताऊं इससे अराइज़ होता है या नही ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : पहले नोटिसेज़ कौल के संबंध में लोगों को दिये जाते थे, अब यह तरीका बंद कर दिया गया है । कुछ लोगों का थोडा सा पैसा भी अगर बाकी रहता है तो उनका कनेक्शन काट दिया जाता है जब कि कुछ दूसरे लोगों का बहुत ज्यादा पैसा भी बकाया रहता है तो उनका टेलीफोन बिल ठीक तौर से जाता रहता है । कभी कभी चेक्स से पेमेन्ट होता है उसमें भी वह अपनी ही ग़लती की वजह से टेलीफोन को डिस्कनेक्ट कर देते है । तो, सभापति महोदय, मै यह कहना चाहता हू कि जयपुर हो या दूसरी जगह हो, जयपुर के संबंध में भी कहना चाहता हूं, कि ट्रंक काल के संबंध में पहले जो प्रथा थी नोटिस देने की, कनेक्शन काटने से पहले पेमेन्ट करने के नोटिस की, क्या मंत्री महोदय उसके ऊपर गौर करेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे ।

श्री सभापति : आप उसका जवाब देना चाहते है या नही ?

श्री राजनारायण : बड़ा जरूरी प्रश्न है ।

श्री सभापति : आपसे मैं नहीं पूछ रहा हूं ।

प्रो० शेर सिंह : आपने आदेश दिया है इसलिये मैं उत्तर दे रहा हू । नोटिस तो अब भी देते है, और अब एक बात और भी करते हैं कि काटने से पहले टेलीफोन भी करते हैं ताकि मालूम हो जाय ।

श्री० प्रेम मनोहर : मंत्री महोदय को शायद मालूम नही है कि यह बिल्कुल निश्चित बात है कि नोटिस बिल्कुल नही आता है ।

MR. CHAIRMAN : Please let him answer.

प्रो० शेर सिंह : आप सुन लीजिए । आजकल यह भी किया है कि टेलीफोन काटने से पहले सब्स्क्राइवर को टेलीफोन भी करते है, इसलिये कि यह मालूम हो जाये कि उनके पास सूचना पहुंची कि नही पहुंची । कई दफा ऐसा होता है कि चिट्ठी नही पहुंची और शिकायतें आती है कि चिट्ठी नही मिली । इसलिये आजकल टेलीफोन भी करते है ताकि उनको जबानी कह सकें कि देखिये आपका पैसा नही आया, आपका कनेक्शन कटने वाला है इसलिये कृपा करके दो दिन के अंदर पैसा भेज दीजिए तो टेलीफोन कनेक्शन नही कटेगा ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं एक निवेदन कर रहा हूं। मेरा निवेदन है . . .

प्रो० शेर सिंह : तो अगर कोई ऐसी शिकायत ह, अगर वह मेरे पास भेजी जायगी तो मैं जांच करा दूंगा।

श्री राजनारायण : मंत्री जी जो कुछ कह रहे हैं, मैं चाहता हूं वह उसको वेरीफाई करके कहें, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। हमारे टेलीफोन का बनारस, लखनऊ पता नही कहां कहां नोटिस जाता है, पता नहीं कब टेलीफोन काट जायेंगे। जब उनको 50 रु० दीजिए, कनेक्शन मिल जाता है।

मेरा एक वैलिड पौइन्ट है। मंत्री महोदय ने कहा कि छः महीने तक बिल खत्म कर दिया जाता है, मगर फिर दो दो साल का बिल कैसे वसूल होता है ?

श्री सभापति : मैं आपको काल नहीं कर रहा हूं। मैंने तो आपको काल नहीं किया है। श्री सी० डी० पांडे।

श्री राजनारायण : आप किसी को भी पूछने तो दीजिए।

SHRI C. D. PANDE : Sir, about four days back I put a Short Notice Question to the effect that the telephone bills on all telephone connections of the Prime Minister during the month of August, 1969 . . .

MR. CHAIRMAN : I do not allow this.

SHRI C. D. PANDE : I will explani to you how it arises.

MR. CHAIRMAN : No, no.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, पौइन्ट आफ आर्डर। एक यहां पर रूल बना दिया जाय कि जहां कहीं प्राइम मिनिस्टर का नाम आयेगा, कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है।

MR. CHAIRMAN : I give the ruling that this is out of order.

SHRI C. D. PANDE : I sought to eslicit information regarding the telephone bills during the month of August 1969 on all telephone connections of the Prime Minister, her Private Secretaries and P.As and all the Ministers and Deputy Ministers . . .

MR. CHAIRMAN : No, Mr. Pande.

SHRI C. D. PANDE :...Please listen...

MR. CHAIRMAN : I have heard.

SHRIMATI LALITHA (RAJAGOPALAN) : Mr. Chairman, on a point of order...

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : श्रीमन्, जब श्री ए० पी० शर्मा जी ने सवाल किया था क्या उस वक्त पौइन्ट आफ आर्डर आया।

(*Several hon. Members stood up in their seats*)

MR. CHAIRMAN : Please sit down. First I will listen to her.

SHRIMATI LALITHA (RAJAGOPALAN) : Sir, the question pertains only to the ordinary trunk calls from Jaipur to Nagpur and other places. It has nothing to do with the issue raised by Mr. C. D. Pande... (*Interruptions*) Mr. Chairman you have got to listen to me. The Ministers' Salaries and Allowances (Amendment) Bill is coming. Mr. C. D. Pande has got a chance then to put this question...

SHRI C. D. PANDE : No, no. My question is relevant in the sense...

SHRIMATI LALITHA (RAJAGOPALAN) : Mr. Chairman, you should not allow this question.

SHRI C. D. PANDE : I have to refute the allegation made . . .

MR. CHAIRMAN : No, no. You should sit down. I have ruled it out of order. You cannot give explanation by putting supplementaries during the Question Hour.

श्री ना० कृ० शेजवलकर : मेरी प्रार्थना यह है कि अभी इससे पहले हमारे एक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था। आपने उस पर यह कहा कि यह रेलेवेन्ट नही है। लेकिन आपको चाहिये कि पहले प्रश्न को सुन लें और सुनने के बाद निर्णय दें। प्रश्न सुनने के बाद ही आप फरमा सकते हैं कि प्रश्न संबंधित है, उचित है, या नही है। मगर बगैर सुने ऐसा कैसे कह सकते हैं मेरी समझ में नहीं आया। तो मेरी बात पहले सुन ली जाये। (*Interruption*) अगर हल्लागुल्ला करनेकी बात है तो मैं भी हल्लागुल्ला करके क्वेश्चन कर सकता हूं। I must be given a hearing...

MR. CHIRMAN : I have given my ruling, please. I do not want to hear anything more.

SHRI MAN SINGH VARMA : Without hearing how can you rule it out?

श्री ना० कृ० शेजवलकर : सभापति महोदय मेरा निवेदन है कि आप चाहे निर्णय कोई लें मगर बगैर सुने कैसे यह कर सकते हैं ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मेरा क्वेश्चन जनरल था ।

MR. CHAIRMAN : This is the same question. Nothing else. Please sit down.

श्री ना० कृ० शेजवलकर : जहां प्रधान मंत्री का नाम आ जाये तो कह दिया जाता है इस सवाल से नहीं उठता . . .

श्री प्रेम मनोहर : प्रधान मंत्री का नाम आता है तो सब चीज़ डिस्अलाउड है ।

श्री मान सिंह वर्मा : श्रीमन्, आगे के लिये व्यवस्था कर दी जाये कि प्रधान मंत्री का नाम आयेगा तो क्वेश्चन नहीं आयेगा । विदाऊट हियरिंग द क्वेश्चन हाऊ केन यू से ।

MR. CHAIRMAN : Please sit down. क्या आप इसी में टाइम ले लेंगे । I have ruled it out of order.

SHRI C. D. PANDE :... I had put a Short Notice Question regarding the telephone calls made by Mrs. Gandhi and I was accused of making wild allegations...

MR. CHAIRMAN : This is not the time. Here the question relates to trunk calls from Jaipur. Dr. Antani.

DR. B. N. ANTANI : My question is very simple but inportant. For months now I have been complaining in the House with regard to the inordinate delays in getting trunk calls between Delhi and Kutch, Kandla and Bhuj. For elven days I have been confined in the Willingdon Hospital on account of heart ailment. My children were anxious to hear the news about my illness. I booked a trunk call for Bhuj at 7 o'clock. For 26 hours I had no answer whatsoever. Some swallows were chirping on the telephone. Well, I am too old to appreciate the voices . . .

MR. CHAIRMAN : Please put a relevant question.

DR. B. N. ANTANI : I shall be very brief but it is very important. Kindly listen. Some girl started asking me, "What is Bhaja? Where is Buchhar?"

MR. CHAIRMAN : I cannot allow.

DR. B. N. ANTANI : This is very important. Sir, this is not a question between the Prime Minister and Mr. C. D. Pande but this is a question of national inportance relating to a port like Kandla I had booked a call at 6-30 . . .

MR. CHAIRMAN : I rule this out of order; you are not putting a question.

DR. B. N. ANTANI : in the evening for Bombay and I have not yet got a reply . . .

MR. CHAIRMAN : Next question.

DR. B. N. ANTANI : Sir, my prayer is that, let the two Ministers, Mr. Sinha and Mr. Gujral, stand by my side and verify the fact...

MR. CHAIRMAN : All right, I have called the next question. Mr. Bhargava.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, हमारा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर सुनेंगे ।

श्री सभापति : इस सवाल पर 20-22 मिनट हो गये हैं ।

श्री राजनारायण : मैं आप से बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में एक ही प्रथा चलनी चाहिये । मैं समझ सकने मे असमर्थ हूं और हमारी बुद्धि समझ सकने में असमर्थ हो रही है और इसीलिए मैं आप से प्रकाश चाहता हूं । अभी श्री ए० पी० शर्मा जी ने जिस तरह से ट्रंक काल्स बिल्स के आने के बारे में कहा कि किस तरह से वे आते हैं और फिर उसके बाद टैलिफोन काट दिये जाते हैं, इस पर हम सवाल पूछ सकते हैं और मंत्री जी ने भी कहा कि . . .

MR. CHAIRMAN : No, no, please sit down.

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैंने जयपुर के बारे में सवाल पूछा था।

श्री राजनारायण : मंत्री के जबाब से यह निकलता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर के फोन का बिल सदन में पेश होगा । यह चार्ज है और एक मेम्बर के बारे में . . .

MR. CHAIRMAN : I have called the next question. Please sit down.

श्री राजनारायण : आपकी व्यवस्था क्या है। देखिये, प्राइम मिनिस्टर का नाम लेने से सैनिकी नही होना चाहिये । प्राईम मिनिस्टर इज प्राइममिनिस्टर ।

MR. CHAIRMAN : Please sit down. That is no point of order.

श्री राजनारायण : आप इस बारे में व्यवस्था दीजिये कि क्या प्राइमिनिस्टर का नाम लेना गुनाह है।

MR. CHAIRMAN : Please sit down.

SHRI RAJNARAIN : Why should I sit own ? प्राईम मिनिस्टर का नाम लिया जायेगा क्योंकि उसने 10 लाख रुपया खर्च किया है और यहां पर झूठा बयान दिया है।

Interruption

श्री सभापति : आप बैठ जाइये ।

(*Interruptions*)

श्री राजनारायण : प्रेजीडेन्ट एक्सचेन्ज के द्वारा फोन कराये गये और उसका ब्यौर नही दिया गया है।

(*Interruptions*)

श्री सभापति : आप बैठ जाइये ।

श्री राजनारायण : अनलिस्टेड प्रेजीडेन्ट एक्सचेन्ज द्वारा जो टैलीफोन किये गये हैं उनका ब्यौरा यहां पर दिया जाना चाहिये ।

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please sit down. Mr. Bhargava, next question.

श्री राजनारायण : मैं आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम प्राइम मिनिस्टर के गुलाम नही हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे पैसे पर खर्च कर रही है, जनता के पैसे पर खर्च कर रही है और उनके बाप की प्राइवेट कंपनी नही है।

MR. CHAIRMAN : Question No. 676

SHRI RAJNARAIN : We are not slaves of the Prime Minister.

(*Interruptions*)

श्री सभापति : अगर क्वेश्चन रैलिवेन्ट होगा तो एलाउ करूंगा।

SHRI RAJNARAIN : Cent per cent relevant.

MR. CHAIRMAN : No, I have ruled it out of order. But if you disobey my order . . .

(*Interruptions*)

SHRI SYED HUSSAIN: Sir, the remark of Shri Rajnarain must be expunged

(*Several hon. Members stood up*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down everybody. Now, Mr. Bhargava.

श्री राजनारायण : सभी डिप्टी मिनिस्टर नहीं बनेंगे।

MR. CHAIRMAN : Next question, Mr. Bhargava.

TUBE WELLS IN U. P.

*676. SHRI M. P. BHARGAVA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether there is any scheme for providing tube wells in those districts of U. P. which are experiencing water shortage;

(b) if so, the districtwise details in respect thereof and whether all the tube wells would be installed by Government or by private individuals; and

(c) the details of financial assistance in respect thereof and other facilities proposed to be given to individuals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHEB SHINDE) : (a) to (c) A statement giving the required information is placed on the Table of the Sabha.